



भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR-Central Arid Zone Research Institute
क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली–मारवाड 306 401 (राजस्थान)
Regional Research Station, Pali-Marwar 306401 (Rajasthan)
Website: www.cazri.res.in, Email: director@cazri.res.in, Phone No. 02932-256098/258578, FAX: 02932-256098



F. No. 13(3) RSP/Share Contract/Kharif/2022-23

Date: 22.12.2023

संस्थान के पाली केन्द्र पर 'अनुसंधान प्रक्षेत्र पर हिस्सा आधारित रबी (2023) फसल उत्पादन हेतु' अल्पकालीन निविदा

Short Term Tender Invitation for 'Share based Rabi (2023) crop production at research Farm of CAZRI, RRS, Pali

1. निविदा प्रपत्र उपलब्धता शुरू होने की दिनांक : 05.01.2024
2. निविदा प्रपत्र उपलब्धता की अंतिम दिनांक एवं समय : 15.01.2024 प्रातः 11.00 बजे तक
3. निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम दिनांक एवं समय : 15.01.2024 मध्याह्न 12.00 बजे तक
4. निविदा खोलने की दिनांक एवं समय : 15.01.2024 मध्याह्न 12.30 बजे

नोट: निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी काजरी की वेबसाइट www.cazri.res.in पर भी उपलब्ध है, इच्छुक व्यक्ति/पार्टियों/ठेकेदार/फर्म इसे डाउनलोड कर सकते हैं अथवा निविदा प्रपत्र पाली केन्द्र के 'सहायक प्रशासकीय अधिकारी' के कार्यालय से व्यक्तिगत उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं और निविदा जमा कराने की अंतिम दिनांक एवं समय से पहले या तक जमा करा सकते हैं।

प्रेषक—

सहायक प्रशासकीय अधिकारी,
भा. कृ.अनु.प.–केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली–मारवाड 306 401 (राजस्थान)

प्रेषित—

मैंसर्स/श्री

विषय— संस्थान के पाली केन्द्र पर 'अनुसंधान प्रक्षेत्र पर हिस्सा आधारित रबी (2023) फसल उत्पादन हेतु' अल्पकालीन निविदा ।

महोदय,

निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर की ओर से इच्छुक व्यक्ति/पार्टियों/ठेकेदारों/फर्मों से संस्थान के पाली केन्द्र पर "अनुसंधान प्रक्षेत्र पर हिस्सा आधारित खरीफ फसल उत्पादन हेतु" मोहरबन्द अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। अन्य जानकारी और नियम व शर्तें परिशिष्ट-1 में संलग्न हैं।

निविदा इस कार्यालय में नियत तिथि दिनांक 15.01.2024 को मध्याह्न 12.00 बजे तक कूरियर/पंजीकृत/त्वरित डाक से पहुँच जानी चाहिए। नियत दिनांक एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार में नहीं किया जाएगा।

निविदा नियत दिनांक व समय 15.01.2024 को मध्याह्न 12.30 बजे पाली केन्द्र पर कमेटी द्वारा निविदा जमा करने वाले लोगों के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी।

भवदीय

सहायक प्रशासकीय अधिकारी
वास्ते निदेशक

संलग्न: उपरोक्तनुसार [Annexure-I (अ से य तक) व Annexure-II]

तकनिकी बिड

(प्रपत्र- अ)

व्यक्ति / फर्म / ठेकेदार का विवरण

1. निविदादाता व्यक्ति / ठेकेदार / फर्म / एजेन्सी के प्रोप्राइटर का नाम :
2. निविदादाता व्यक्ति / ठेकेदार / फर्म / एजेन्स का नाम व पता :
मैसर्स
.....
.....
3. (अ) टेलीफोन नं. कार्यालय: निवास: माबोइल नं. (ब)
ई-मेल पता :
4. व्यक्ति / ठेकेदार / फर्म / एजेन्सी का विवरण :
(साझेदारी डीड / संविधान यदि सोसाइटी है तो)
5. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन (PAN) नंबर (यदि हो तो):
6. जी.एस.टी. / सर्विस टैक्स नंबर (यदि हो तो, अनिवार्य नहीं) :
7. नाम व पते की पुष्टि हेतु साक्ष्य के रूप में फोटो पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य सरकारी मान्य पहचान पत्र / फोटोयुक्त दस्तावेज की फोटो प्रति:
8. व्यक्ति / फर्म / ठेकेदार के बैंक का नाम व पता :
बैंक का आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड नम्बर : बैंक खाता नम्बर :
(सही सूचना के लिए बैंक की छाया प्रति संलग्न करें)
9. धरोहर राशि (Bid security)—रु. 1,000 /— ICAR Unit-CAZRI, Jodhpur के पक्ष में देय हो। डी.डी.
/ बैंक चैक नं. दिनांक बैंक का नाम
प्रस्तुत करें ।
10. निविदा प्रपत्र को बिना कॉट-छॉट के साफ-सुथरा भर कर मोहर (यदि फर्म हो) सहित हस्ताक्षर कर स्वयं / अधिकृत प्रतिनिधि / पंजीकृत डाक / त्वरित डाक / कोरियर डाक द्वारा देय तिथि 15.01.2024 को मध्यान्ह 12.00 बजे से पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली के नाम टेण्डर बॉक्स में डलवायें। लिफाफे पर 'हिस्सा खेती के लिए अल्पकालीन निविदा' लिखा होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. विस्तृत जानकारी हेतु देखें काजरी वबेसाइट: www.cazri.res.in

तकनीकी बिड

(प्रपत्र-ब)

काजरी आर आर एस, पाली के प्रक्षेत्र अनुभाग में विभिन्न खण्डों पर हिस्से के आधार पर फसलों के उत्पादन हेतु अनुबन्ध की नियम व शर्तें

1. निविदा प्रस्तुति : निविदादाता को निविदा वांछित दस्तावजों तथा बिड प्रपत्रों को भर कर व प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर मूल प्रति सहित डालकर उसे बन्द करना होगा। फिर लिफाफे को निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि को निर्धारित समय तक या उससे पहले काजरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली के टेण्डर बॉक्स में स्वयं उपस्थित होकर सहायक प्रशासकीय अधिकारी की जानकारी में लाकर डालने होंगे या डाक द्वारा 'सहायक प्रशासकीय अधिकारी, काजरी, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली', को प्रेषित करना होगा। निविदा खोलने की तिथि को निर्धारित समय पर उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष लिफाफा खोला जायेगा।
2. निविदा की बिड के साथ उल्लेखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
3. निविदादाता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी का अधिकृत व्यक्ति/प्रतिनिधि/स्वयं उपस्थित होकर संबंधित फार्म का जायजा कार्यालय समय के दौरान कर सकते हैं।
4. निविदादाता को निविदा प्रपत्र में अंकित किये जाने वाले नाम व पते की पुष्टि हेतु साक्ष्य के रूप में फोटो पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, आधार कार्ड, अथवा अन्य सरकारी मान्य पहचान पत्र फोटोयुक्त दस्तावेज की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
5. निविदा भरते समय व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर (यदि हो तो) अवश्य लिखें।
6. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
7. काजरी, आर.आर एस, पाली प्रक्षेत्र अनुभाग पर हिस्से पद्धति के आधार पर खरीफ फसलों के उत्पादन हेतु अनुबन्ध के लिये फसलों का विवरण (रबी 2023) इस प्रकार है—

क्र.सं.	फसल	अनुमानित क्षेत्रफल (है.)	विशेष विवरण
1.	सरसों	2.5 है.	सभी फसलों के दाने/बीज में संस्थान का न्युनतम 60 प्रतिशत हिस्सा और अनुबन्धकर्ता का अधिकतम 40 प्रतिशत होगा। सरसों, गेहूँ व मेथी की बुवाई केन्द्र द्वारा की जा चुकी है एवं एक बार ट्रेक्टर से निराई-गुड़ाई संस्थान द्वारा की जायेगी। इस पूरे फसल उत्पादन कार्य हेतु आवश्यकतानुसार ट्रेक्टर एवं ड्राइवर आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी व आवश्यक मजदूरों की व्यवस्था अनुबंधकर्ता को करनी होगी। इसके बाद की सभी कृषि क्रियाएँ यथा- निराई-गुड़ाई, कीटनाशकों/ निंदानाशकों का छिड़काव (यदि आवश्यक हो तो), रखवाली, कटाई, मड़ाई एवं उत्पाद बोरों में भरना आदि अनुबंधकर्ता द्वारा की जायेगी। फसलों की मड़ाई (थ्रेसिंग) के लिये थ्रेसर एवं ट्रेक्टर संस्थान का होगा।
2.	गेहूँ	2.5 है.	
3.	मेथी	0.5 है.	

नोट: अनुबंध कार्य संस्थान को बीज / दाने में अधिकतम हिस्सा देने वाले अनुबंधकर्ता को दिया जावेगा।

8. अनुबन्ध की अवधि रबी फसल 2023 तक रहेगी। यदि उक्त अवधि के दौरान अनुबंधकर्ता द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व जमानत राशि

(Performance Security) जब्त कर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।

9. निविदा प्रपत्र इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र/संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र पर ही स्वीकार किये जायेंगे (जो कि प्रपत्र सूचि में दर्शाया गया है)। निविदा संस्थान के निदेशक महोदय के नाम सहायक प्रशासकीय अधिकारी कार्यालय में दिनांक 15.01.2024 तक समय 12.00 बजे तक प्रस्तुत करनी है। सशर्त, ई-मेल द्वारा भेजे गये तथा देरी से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं कि जावेगी। अनुबंधकर्ता के पास पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/झाड़वर लाइसेन्स/अन्य सरकारी पहचान पत्र की फोटोप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, संलग्न नहीं करने पर निविदा को स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। निविदाएँ उसी दिन दोपहर बाद 12.30 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।
10. निविदादाता को रु. 1000.00 (एक हजार मात्र) रूपये मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि ICAR Unit, CAZRI, Jodhpur के नाम से देय हो अथवा कार्यालय में नकद जमा करवाकर उसकी रसीद अमानत राशि (Bid Security) के रूप में प्राप्त की जावेगी। बिना अमानत राशि के निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा। सफल निविदादाता को कार्य आदेश से पूर्व नियमानुसार जमानत राशि (Performance Security) जमा करानी होगी, जिसका निर्धारण फसल, फसल क्षेत्रफल एवं अनुमानित उत्पादन में हिस्से के आधार पर केन्द्र अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, उसके उपरान्त ही कार्यादेश जारी करके धरोहर राशि (Bid Security) लौटाई जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये आर.आर.एस. संस्थान को उचित व अधिकतम मात्रा/हिस्सा ही स्वीकार किया जायेगा यदि आवश्यक हुआ तो हिस्से के बारे में आपसी-बातचीत भी की जा सकती है।
12. उपरोक्त फसलों की बुवाई केन्द्र द्वारा की जा चुकी है एवं खड़ी फसल में ट्रेक्टर द्वारा निराई संस्थान द्वारा कराया जाना है। इस पूरी फसल उत्पादन कार्य हेतु जहा ट्रेक्टर की आवश्यकता होगी केन्द्र द्वारा ट्रेक्टर मय झाड़वर उपलब्ध करवाया जायेगा अन्य आवश्यक मानव श्रम या मजदूर अनुबंधकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे। ठेके बाद के सब आवश्यक कार्य जैसे निराई-गुड़ाई, कीटनाशक/निदानाशक दवाओं का छिड़काव (यदि आवश्यक हो तो), देख-भाल, रखवाली, कटाई (harvesting), मड़ाई (Threshing) और बोरों में भरने हेतु लगने वाली मजदूरी अनुबंधकर्ता को वहन करनी होगी। कटी फसल की ढुलाई (यदि आवश्यक हो तो) हेतु ट्रेक्टर, दवा छिड़काव हेतु स्प्रे मशीन, मड़ाई के लिये थ्रेसर एवं ट्रेक्टर एवं दाने/बीज की ढुलाई हेतु ट्रेक्टर संस्थान का होगा।
13. दाना/बीज उपज का बंटवारा सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जाएगा। संस्थान के हिस्से में आने वाले दाने को प्रभारी प्रक्षेत्र अनुभाग या उनके प्रतिनिधियों द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर डालना होगा।
14. किसी भी फसल के भूसे/चारे का बंटवारा नहीं किया जायेगा, जिस फसल का जो भी भूसा/चारा होगा वह संस्थान का ही रहेगा व भूसा उठाने के लिए वाहन संस्थान का होगा व श्रमिक की व्यवस्था अनुबंधकर्ता को करनी होगी ताकी भूसा/चारा केन्द्र के इच्छित स्थान पर परिवहन किया जा सके।
15. अनुबंधकर्ता को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबंधकर्ता की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबंधकर्ता की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा। श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख अनुबंधकर्ता को तैयार रखना होगा जिसे सम्बन्धित प्रभारी से प्रत्येक माह प्रमाणित करवाना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा मांगी जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
16. ठेकदार/फर्म/एजेन्सी को अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो देनी होगी। सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे-ESI/EPF/Service Tax/GST etc. यदि ये प्रावधान उनके संदर्भ में लागू हो तो इनका पूर्ण रूप से पालन करना होगा वह इसका समुचित रिकार्ड रखेगा/रखेगी तथा साक्ष्य के तौर पर मासिक बिल के संलग्न रसीद की फोटो प्रतिलिपि देनी अनिवार्य होगी। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी निर्देशों / श्रम कानूनों इत्यादि का पूर्ण अनुसरण/निर्वाह करना होगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों, अनुदेशों व समय-समय पर सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकदार द्वारा पालना न करने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकदार की होगी।

17. C.L. (R&A) एक्ट 1970 सेक्सन 12 (1)की वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप ठेकदार को इस संस्थान में 20 या अधिक श्रमिक नियुक्त करने के लिए वैध लाइसेन्स श्रम कार्यालय से प्राप्त करना होगा और उसकी एक प्रतिलिपि इस संस्थान के कार्यालय में जमा करानी होगी। यदि ये प्रावधान उनके संदर्भ में लागू हो तो।
18. श्रमिकों को श्रम कानूनों के अनुसार स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सुविधाएँ ठेकदार द्वारा आवश्यकतानुसार प्रदान करना अनिवार्य होगा।
19. ठेकदार को ठेका कार्य के दौरान मजदूरों को आधारभूत सुविधाएँ ठेका कार्य स्थल पर उपलब्ध करानी होगी जैसे पीने का पानी, छाया इत्यादि।
20. आयकर या अन्य कोई कर इत्यादि की कटौती सरकारी आदेशानुसार एवं नियमानुसार फर्म/ठेकदार द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल में से की जाएगी।
21. परिषद्/संस्थान और श्रमिकों के बीच कोई संबंध नहीं होंगे। वे केवल श्रमिक/ठेकदार/फर्म के संविदा श्रमिक होंगे।
22. काजरी परिसर में जंगली जानवरों, पशु-पक्षियों को नुकसान पहुँचाना या इनका शिकार करना वर्जित है। ऐसा करने वाले उस संविदा मजदूर तथा संबंधित ठेकदार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
23. उपरोक्त सभी कार्यों की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी प्रक्षेत्र/फार्म अधीक्षक या उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तोषजनक पूर्ण करना प्रमाणित किया जायेगा, उसके बाद ही हिस्से का बंटवारा किया जायेगा। यदि कार्य दिये गये मापदण्डों के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार हिस्से का बंटवारा किया जावेगा।
24. किसी भी कार्य को अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या सन्तोषजनक नहीं होने पर अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि (Performance Security) को जब्त कर ली जायेगी एवं अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जाएगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी एवं भविष्य में संस्थान में किसी भी प्रकार के अनुबन्धों से बाहर कर दिया जाएगा।
25. □ अनुबंध होने से लेकर कटाई/बंटवारे तक सुरक्षा की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
26. ठेकदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाए। होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकदार को करनी होगी।
27. फार्म/प्रोजेक्ट क्षेत्र में चल रहे अनुसन्धान, फसल इत्यादि की बाहरी जंगली जानवरों से रक्षा हेतु व्यवस्था करनी होगी।
28. ईन्चार्ज द्वारा बताये गये सभी निर्देशानुसार (मौखिक या लिखित) समय पर पूर्ण करने होंगे जिससे कि फसल उपज पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।
29. अनुसंधान क्षेत्र/प्राजेक्ट क्षेत्र के भीतर कोई भी आदमी या जानवर बिना अनुमति के नहीं आना चाहिए एवं फॉसिंग/अनुसंधान सामग्री को कोई क्षति/नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि कोई क्षति/नुकसान होता है तो उसका खर्च ठेकदार से वसूल किया जाएगा।
30. कार्यावधि में ठेकदार के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
31. अनुबंध के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर प्रतिदिन अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्च पर करनी होगी तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी।
32. अनुबंध के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से नुकसान की भरपाई के लिये 100/- रुपये प्रतिदिन या परिस्थिति अनुसार जुर्माना लगाया जायेगा।
33. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई अथवा संस्थान की सम्पत्ति कोई नुकसान/चोरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी पूर्ति स्वयं अनुबन्धकर्ता को करनी होगी अन्यथा अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि (Performance Security) जब्त कर ली जावेगी।
34. विविध प्राकृतिक कारणों से फसलों का उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा संस्थान द्वारा किसी प्रकार का हर्जाना, क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
35. कृषि से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि के दिशा-निर्देशानुसार करना होगा।
36. अवांछित पौधों को निर्देशानुसार निकालने का कार्य निविदाकर्ता को करना होगा।

37. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख-रखाव स्वयं अनुबन्धकर्ता को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार का निस्तारण अनुबन्धकर्ता स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
38. अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि (Performance Security) अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
39. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख अनुबन्धकर्ता को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
40. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, (राजस्थान) को होगा, जो अनुबन्धकर्ता/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
41. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (हिस्सा पद्धति के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त अनुबन्धकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि का हिस्सा पद्धति कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
42. सफल अनुबन्धकर्ता को 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
43. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
44. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है।
45. COVID-19 नोबल कोरोना-19 के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी आदेशों, दिशा-निर्देशों की अनुपालना सख्ती से करनी होगी।
46. अनुबन्ध कार्यों में ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग और सेनेटाइजेशन अनिवार्य है तथा संस्थान परिसर में अनुबन्ध संबंधी कार्यों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी होगी।
47. संबंधित ठेकेदार तथा उसके श्रमिकों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य है।
48. अनुबन्ध कार्यों में ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों का नोबल कोरोना-19 से बचाव हेतु टीकाकरण हो रखा हो।

तकनीकी बिड

(प्रपत्र-स)

निविदादाता ठेकादार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा घोषणा

1. I, _____ son/ daughter/
wife of Shri _____ Proprietor/ Director/
authorized signatory of the Company/Firm mentioned above, is competent to sign this
declaration and execute this tender document.
2. I have carefully read and understood all the terms and conditions of the tender and undertake to
abide to them.
3. The information/documents furnished along with the above tender form are true and authentic
to the best of my knowledge and belief. I am well aware of the fact that furnishing of any false
information/fabricated document would lead to rejection of my tender at any stage besides
liabilities towards prosecution under appropriate law.

Signature & Name of the authorized

Signatory with Seal of the Firm

Place:

Date:

तकनीकी बिड
(प्रपत्र-द)

FOR THE USE BY TENDER OPENING COMMITTEE ONLY

Name of the Firm: _____

1. Earnest money deposited/not deposited/is/not in acceptable form.
2. There are no changes, corrections, additions and overwriting etc. in the General Terms and Conditions put to tender.
3. There are _____ corrections and overwriting in the rates which have been quoted in figure/words numbered from _____ to _____ figure/words.
4. The tender is conditional/unconditional. Please refer covering letter/notes on page _____ there are _____ conditions.
5. The rates have not been quoted against item No. _____.
6. There is ambiguity in the rates quoted in figure and words against item No. _____.
7. Rates have been quoted in figures/words only.

(Tender Opening Committee)

तकनीकी बिड
(प्रपत्र-य)

**CHECKLIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH TENDER DOCUMENT FAILING WHICH THE BID
WILL BE LIABLE TO BE REJECTED:**

S. No.	Documents to be submitted	Whether Submitted or not	If submitted than mentioned page No.	Remarks
1.	Details of EMD deposited Rs. 1,000/-			
2.	Copy of PAN/Aadhar Card/Voter ID/any other authentic ID			
3.	Proof of experience (if any)			

Authorized Signatory

Full Name of Bidder with Address & Date

वित्तीय निविदा (Financial Bid)

सेवा में,
निदेशक, काजरी, जोधपुर।

महोदय,

संस्थान के पाली केन्द्र पर 'अनुसंधान प्रक्षेत्र, पर रबी 2023 के दौरान 'हिस्सा आधारित खेती अनुबंध (Share based contract) फसल उत्पादन हेतु' के लिए निविदा आमंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित विभिन्न फसलों हेतु हमारे द्वारा अग्रांकित हिस्से प्रस्तुत किये जाते हैं:

क्र. सं.	फसल	अनुमानित क्षेत्रफल (है.)	अनुबंधकर्ता का बीज/दाने में हिस्सा प्रतिशत	संस्थान का बीज/दाने में हिस्सा प्रतिशत	विशेष विवरण
1.	सरसों	2.5 है.	60+	सभी फसलों के दाने/बीज में संस्थान का न्यूनतम 60 प्रतिशत हिस्सा और अनुबंधकर्ता का अधिकतम 40 प्रतिशत होगा। तिल, मूंग व ग्वार की बुवाई केन्द्र द्वारा की जा चुकी है व खड़ी फसल में एक निराई भी ट्रैक्टर द्वारा संस्थान द्वारा की जानी है। इस पूरे फसल उत्पादन कार्य हेतु बीज, मशीन, ट्रैक्टर एवं ड्राइवर आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी इसके लिये आवश्यक मजदूरों की व्यवस्था अनुबंधकर्ता को करनी होगी। इसके बाद की सभी कृषि क्रियाएँ यथा— निराई—गुड़ाई, कीटनाशकों/ निंदानाशकों का छिड़काव (यदि आवश्यक हो तो), रखवाली, कटाई, मड़ाई एवं उत्पाद बोरों में भरना आदि अनुबंधकर्ता द्वारा की जायेगी। फसलों की मड़ाई (श्रेसिंग) के लिये श्रेसर एवं ट्रैक्टर संस्थान का होगा। पार्टी को हिस्से में प्राप्त बीज काजरी संस्थान द्वारा रखा जा सकता है जिसकी राशि का भुगतान मण्डी/बाजार भाव से समिति द्वारा निर्धारण करके किया जायेगा।
2.	गेहूँ	2.5 है.	60+	
3.	मेथी	0.5 है.	60+	

नोट: अनुबंध कार्य संस्थान को बीज / दाने में अधिकतम हिस्सा देने वाले अनुबंधकर्ता को दिया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

मैसर्स

.....

दिनांक:

स्थान :